COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

265

(1)

BEFORE THE BOARD OF REVENUE, STATE OF M.P. GWALIOR

Revenue Revision No. ________ Of 2011 R-1632-I/2011

RL 32817189 7-10-11

APPLICANT : Smt. Asha Kohli,
Wife of Girish Kohli,
R/o Nai Basti, Kohli Bada,
District Katni.

Versus

RESPONDENTS : Dr. Roopa Lalwani,
Wife of Vishambhar Lalwani,
R/o Nai Basti, Jaiprakash Ward,
District Katni.

REVENUE REVISION UNDER SECTION 50 OF THE M.P. LAND REVENUE CODE, 1959

The applicant being aggrieved by the impugned order dated 08.08.2011 passed by Additional Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur in Appeal No.405/A-5/2001-02 begs to prefer this revision on the following facts and grounds:-

FACTS OF THE CASE:

1. That, the applicant had purchased a land by registered sale deed dated 26.07.1988 bearing Khasra No.233, area 1.283 hectare, and Khasra No.237 area 0.194 hectare situated at village Bhadora, P.C.No.57, N.B.311, Tahsil Badwara, District Katni, from Shri Punaua & Sundi. The said Khasra numbers of the land was subsequently on the bandobast was allotted a new Khasra number as Khasra No.102 and 102/2. The name of the applicant has been recorded in the Khasra Panchshala for the year 1999-2000 over the said land.

2. That, the respondent after sale deed executed in favour of the applicant, by influencing the said seller of the land, on 16.04.1999 got executed a forged and fabricated sale deed in her favour in respect of the same land which had been purchased by the applicant

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक – निग0 1632–एक/11 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.9.2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 405/अ–5/01–02 में पारित आदेश दिनांक 8–8–11 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन संहिता की धारा 32 के तहत पेश कर प्रश्नाधीन भूमि के बंदोवस्त के दौरान स्थापित नये खसरा नंबर पंजीकृत विकयपत्र दिनांक 26–4–99 के माध्यम से कय कर संशोधन पंजी में कमांक 25 दिनांक 2–9–99 के माध्यम से दिनांक 28–3–2000 को नामांतरण होकर भूमिस्वामी है, खसरा नंबर बंदोवस्त के दौरान बदल जाने के कारण उक्त भूमि के पूर्व भूमिस्वामियों ने पहल के पुराने खसरा नंबर तथा नये खसरा नंबर के कारण एक ही भूमि को दो बार अलग–2 आवेदिका एवं अनावेदिका को विकय कर दिया है । इसलिए अनावेदिका ने आवेदिका से 65000/– रूपये नगदी लेकर आवेदिका के बैनामा दिनांक 16–4–99 को सही मानने एवं उसके आधार पर उक्त भूमि का नामांतरण कराने की सहमति लेकर दिनांक 26–4–99 को अपना सहमतिपत्र एवं कबूलियत नामा आवेदिका के पक्ष में लिखकर दे दिये जाने के बाद भी उक्त भूमि की भू–अधिकार पुस्तिका अनावेदिका के पास होने से वह उसका दुरूपयोग करने	

निग. 1632-5/14 कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की चेष्टा में है अतः उससे भू-अधिकार पुस्तिका मंगवाकर उसका नाम अलग करवाया जाये । विचारण न्यायालय ने इस पर से आवेदिका को तलब कर और सुनवाई उपरांत आदेश पारित करते हुए उसका नाम पृथक करने का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने प्रथम अपील एस.डी.ओ. के यहां की जो उन्होने आदेश दिनांक 30-3-2002 द्वारा निरस्त की । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु नियत दिनांक को 15 दिवस का समय लिखित बहस हेतु दिया गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 4/ यह प्रकरण आलोच्य भूमि के नामांतरण के संबंध में है । विद्वाना अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि व्यवहार वाद कमांक 181/ए/07 में पारित आदेश दिनांक 30-9-08 द्वारा आशा कोहली को बतौर मालिक स्वामी काबिज होना प्रमाणित नहीं पाया गया है इसके साथ ही यह भी प्रमाणित नहीं पाया है कि अनावेदक द्वारा अवैध ढंग से धन का लालच देकर दिनांक 16-4-99 को विवादित भूमि से संबंधित विकयपत्र निष्पादित कराया था तथा विकयपत्र में खसरा नंबर 102/2 का रकवा सम्मिलित किया है और अवैध नामांतरण किया है तद्नुसार वादी का दावा वास्ते घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा का निरस्त किया है ।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1632–एक/11 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विद्वान अपर आयुक्त ने यह भी पाया है कि व्यवहार वाद कमांक 108ए/06 निर्णय दिनांक 8–8–07 की प्रति के आधार यह पाया है कि अनावेदिका को प्रकरण में निहित विवादित भूमि का भूमिस्वामी होना प्रमाणित पायया है और यह भी पाया है कि आवेदिका द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा पाया है । उपरोक्त कारणों से अपर आयुक्त ने आवेदिका की अपील को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय स्थिर रखे हैं । प्रकरण में जो आलोच्य आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक और विधिसम्मत है उक्त आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	